

# उचित व्यवहार संहिता

## सिटीकॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड

**मालिक:** समस्त व्यवसाय

**संपर्क:**

समस्त व्यापार प्रमुख

[dl.citi.in.cfil.business.leads@citi.com](mailto:dl.citi.in.cfil.business.leads@citi.com)

**जारी करने की तिथि:**

२२ सितंबर, २०१७

**संशोधित:**

जुवरी, २०२२

**बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत:**

४ फरवरी २०२१ (४.०)

३ नवंबर, २०२० (३.०)

७ नवंबर, २०१९ (२.०)

२२ सितंबर, २०१७ (१.०)

**संस्करण:** ५.०

## विषय-सूची

१	अवलोकन	१
२	ऋण और उनकी प्रक्रिया के लिए आवेदन / अनुरोध	२
३	ऋण मूल्यांकन और नियम / शर्तें	४
४	ऋणों का संवितरण, नियम और शर्तों में परिवर्तन सहित	५
५	सामान्य शर्तें	६
६	निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व	७
७	शिकायत निवारण तंत्र	८
८	उचित व्यवहार संहिता की भाषा और संचार विधि	११
९	एनबीएफसी १२ द्वारा प्रभारित अतिरिक्त ब्याज के विनियमन और शिकायतें	१२
१०.	एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित वाहनों की जब्ती के संबंध में स्पष्टीकरण	१३

## १. अवलोकन

---

सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद सीएफआईएल द्वारा इंगित) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ०२ मार्च, २०१७ को जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में इसके संचार, परिपत्र सं. DNBR.PD.CC.०८५ / ०३.१०.००१ / २०१६-१७, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उचित व्यवहारों के अनुपालन बाद, अपने सभी ग्राहक व्यवहारों के लिए दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप से अपनाया गया है।

सीएफआईएल एक पंजीकृत एनडी-एसआई एनबीएफसी है जो ऋण देने के व्यवसाय में संलग्न है। सीएफआईएल द्वारा समर्थित क्षेत्रों में मुख्य रूप से एसेट बैकड फाइनेंसिंग (परिसंपत्ति समर्थित वित्त), सामरिक इक्विटी समाधान (एसईएस) – मार्जिन ऋण, कॉर्पोरेट ऋण और मिड-मार्केट कंपनियों के ऋण शामिल हैं।

चूंकि सीएफआईएल प्रक्रियाओं और परिचालन प्रक्रियाओं में समस्त ग्राहक व्यवहार में निष्पक्षता विधिवत शामिल है, कोड को औपचारिक रूप से उपरोक्त संदर्भित दिशानिर्देशों / अधिसूचना के तहत प्रलेखित किया जा रहा है।

## २. ऋण और उनकी प्रक्रिया के लिए आवेदन / अनुरोध

---

### एसेट बैकड फाइनेंसिंग – वाणिज्यिक वाहन और निर्माण उपकरण

सीएफआईएल ऋण आवेदन पत्र में ऋण से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसमें आवश्यक ऋण जानकारी और ग्राहक द्वारा विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।

ऋण आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में निम्नलिखित शामिल है लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं है

- ✓ ऋण की श्रेणियों में न्यूनतम और अधिकतम वार्षिक प्रभावी ब्याज दर
- ✓ प्रभारों का प्रकटीकरण
- ✓ कथन कि कंपनी द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में उचित और न्यायसंगत जोखिम प्रीमियम शामिल होता है, जिसका उधारकर्ताओं की आंतरिक रेटिंग, सुरक्षा और मूल्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति, के साथ-साथ उधारकर्ताओं की आय, ऋण के आकार, पिछले क्रेडिट इतिहास, ब्यूरो जानकारी, आदि अन्य कारकों से संबंध होता है।
- ✓ कथन कि ऋण के प्रकार, सुरक्षा के मूल्य या संपार्श्विक, ऋण का कार्यकाल और ऋण की मात्रा से जुड़े जोखिम के आधार पर जोखिम ग्रेडेशन का निर्धारण किया जाता है।

आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की सांकेतिक सूची का खुलासा किया गया है।

वाणिज्यिक ऋण में, ऋण की प्रमुख शर्तों को उधारकर्ता को उसके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रेषित किया जाता है। इसके अलावा, स्थानीय भाषा में एक घोषणा के द्वारा ग्राहक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसने आवेदन पत्र के एक भाग के रूप में शर्तों को माना/समझा है।

सभी भरे हुए आवेदन फॉर्म विधिवत स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए, सभी आवेदन पत्रों में पावती के लिए एक छिट्रित संलग्न हिस्सा होता है। आवेदकों को पावती उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।

पावती सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से १५ दिनों की अनुमानित समय सीमा को इंगित करती है, जिसके दौरान ऋण को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

### कॉर्पोरेट ऋण

ऋण की शर्तों पर उधारकर्ता और सीएफआईएल के बीच पारस्परिक रूप से सहमति होती है और इस प्रस्ताव की स्वीकृति को ग्राहक के पास से एक अनुरोध पत्र के रूप में संप्रेषित किया जाता है, जिसमें ऋण, ऋण राशि और ऋण के टेनर (तत्त्व) के लिए लागू ब्याज दर शामिल होती है, लोन की फ्लोटिंग दर के मामले में, रिसेट फ्रीकेंसी।

### मध्य- खंड ऋण

ऋण की शर्तों पर ग्राहक और सीएफआईएल के बीच आपस में सहमति होती है। ग्राहक सीएफआईएल को अनुरोध पत्र प्रदान करता है। अनुरोध पत्र में ऋण की राशि, टेनर (तत्त्व), परिपक्वता तिथि, ब्याज की दर, नियम और शर्तों आदि का विवरण शामिल होता है।

### सामरिक इक्विटी समाधान (एसईएस) – मार्जिन ऋण

ग्राहक के साथ समझौते में शामिल शर्तों का पूर्ण प्रकटीकरण।

### ३. ऋण मूल्यांकन और शर्तें

---

सीएफआईएल की क्रेडिट मूल्यांकन (जोखिम आधारित) प्रक्रिया और प्रयोजनीय कार्यक्रम के अनुसार ऋण आवेदनों / अनुरोध पत्र का मूल्यांकन किया जाता है।

ऋण के अनुमोदन पर, एक व्यापक समझौता / एक स्वीकृति पत्र निष्पादित किया जाता है जिसमें लागू शर्तों के साथ स्वीकृत ऋण की राशि, लागू ब्याज की वार्षिक दर को दर्शाया जाता है और उसी की प्रतिलिपि बाद में ऋणकर्ता को भेजी जाती है।

सीएफआईएल ऋण समझौते के सभी मुख्य नियमों और शर्तों, अर्थात् ऋण राशि, ब्याज दर, किस्त संरचना, तत्त्व (टेनर) और ऋण पश्च स्वीकृति के दौरान ऋणकर्ता के डिफॉल्ट होने की स्थिति में और ऋण समझौते को निष्पादित करते समय सीएफआईएल के अधिकार में अन्य प्रासंगिक शर्तों, की व्याख्या करता है।

ऋण / सुविधा समझौते में उल्लिखित विलंबित भुगतान के लिए दंड ब्याज लिया जाता है

## ४. शर्तों में ऋण के संवितरण, प्रभार

ऋण का पश्च संवितरण, पुनर्भुगतान कार्यक्रम जिसमें ऋण का विवरण, ब्याज की दर, टेनर (तत्त्व), किस्त संरचना, ब्याज – मूलधन ब्रेकअप और अन्य लागू शुल्क का विवरण रहता है, सभी उधारकर्ताओं को भेजी जाती है।

ऋण के विवरण की पुष्टि के लिए एबीएफ उत्पादों के लिए स्वतंत्र केंद्रीकृत इकाई द्वारा जागरूकता कॉलिंग की जाती है। उधारकर्ता को पुनः प्रदान की जाने वाली जानकारी में, ऋण संख्या, ईएमआई राशि, ऋण टेनर और ईएमआई देय तिथि शामिल होती है। एसेट बैंक फाइनेंसिंग (एबीएफ) के लिए जागरूकता कॉल रिकॉर्ड लाइनों के माध्यम से की जाती है और कॉल के रिकॉर्ड ६ महीने तक रखे जाते हैं।

वाणिज्यिक वाहन / निर्माण उपकरण वित्त सावधि ऋण नियत ब्याज की दर से दिए जाने वाले ऋण हैं जिनका ईएमआई के माध्यम से मासिक भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, अन्य शर्तों में परिवर्तन के संबंध में विवरण नीचे खंड में शीर्षक-ऋण समझौते की शर्तों में बदलाव के लिए नोटिस के अंतर्गत दिया गया है। ब्याज दरों, शुल्कों इत्यादि की दर से किए गए परिवर्तन उसी समय शाखाओं और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परंतु, यदि कोई मामला सभी ग्राहकों के लिए लागू न होते हुए, केवल एक व्यक्तिगत अनुबंध / ऋण तक सीमित हुआ, तो इसके संबंध में पंजीकृत पते पर एक पत्र / ईमेल या पंजीकृत संपर्क नंबर पर एसएमएस / कॉल के रूप में सूचित किया जाएगा।

ऋण समझौते की एक प्रति ऋणकर्ता पोस्ट ऋण बुकिंग / प्राधिकरण को भेजी जाती है

डिफॉल्ट की घटनाएँ जिनके तहत ऋण को वापस करने के लिए कहा जा सकता है या भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है, ऋण समझौते में विशिष्ट खंड के तहत विस्तार से दी गई हैं।

हालांकि, सीएफआईएल को ऐसी प्रतिभूतियों को रखने का अधिकार है, बशर्ते, हमारा ऋणकर्ताओं के विरुद्ध सीएफआईएल से प्राप्त किए गए किसी अन्य ऋण / ऋण सुविधाओं के सामने किसी भी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार पर कोई अन्य दावा न हो।

\* यदि सीएफआईएल द्वारा सेट ऑफ का ऐसा अधिकार प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ताओं को शेष दावों और जिन दस्तावेजों के तहत हम संबंधित दावे के निपटान / भुगतान के होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने के हकदार हैं, के बारे में पूर्ण विवरण के साथ पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी।

**सामरिक इक्विटी समाधान (एसईएस) – मार्जिन ऋण:** एसईएस – मार्जिन ऋण के मामले में, ऋण ब्याज दर पर दिए जाते हैं। ब्याज दर ग्राहक के साथ आपसी समझौते का आधार है।

#### ५. सामान्य शर्तें

---

सीएफआईएल उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता है, केवल ऋण मंजूरी दस्तावेजों के नियमों और शर्तों में प्रदान की गई अंतिम उपयोग निगरानी और उद्देश्यों को छोड़कर (जब तक कि नई जानकारी, पहले से उधारकर्ता द्वारा प्रकट न की गई हो, सीएफआईएल के ध्यान में आई हो)

खाते के हस्तांतरण (ऋण का असाइनमेंट) के संबंध में ऋणकर्ता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के मामले में, २९ दिनों के भीतर सहमति या आपत्ति की विधिवत जानकारी दी जाती है। कंपनी के चलन के अनुसार उपभोक्ता ऋणों के लिए, किसी भी स्थिति में, उधारकर्ता से किसी भी अनुरोध आधारित एनओसी के मामले में वाणिज्यिक ऋण के लिए ग्राहक को दिए गए खाते को बंद करने से इनकार नहीं किया जाता है, वही जारी किया जाता है या कर्जदार से आपत्ति का कारण साझा किया जाता है। कॉरपोरेट लोन, मिड सेगमेंट लोन और सामरिक इक्विटी समाधान (एसईएस) – मार्जिन ऋण के लिए कोई केस नहीं है, जहां लोन ट्रांसफर किया गया हो।

ऋण की वसूली के मामले में विशेष रूप से जहां तीसरे पक्ष के वसूली एजेंट लगे हुए हैं। सीएफआईएल ऋण वसूली के लिए आचार संहिता और इस संबंध में नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उपायों का पालन करता है।

उचित तरीके से ग्राहकों से निपटने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए फ्लोटिंग दर ऋण के लिए पुरोबंध शुल्क / पूर्व-भुगतान दंड शुल्क नहीं लिया जाता है। कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए ब्याज रीसेट तिथि पर अस्थायी दर ऋण प्रीपेड के लिए फोरक्लोज़र शुल्क/पूर्व-भुगतान दंड नहीं लिया जाता है।



## ६. निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व

---

सीएफआईएल बोर्ड ने इस संबंध में होने वाले विवादों को हल करने के लिए संगठन के भीतर एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। एक सुदृढ़ शिकायत निवारण की प्रक्रिया की सुनिश्चितता के लिए अलग-अलग वृद्धि स्तर रखे गए हैं, ताकि प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट होने की स्थिति में ऋणकर्ता कम से कम अगले उच्चतर स्तर पर शिकायतों का निपटारा कर सके।

## ७. शिकायत निवारण तंत्र

---

सीएफआईएल में, हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं और हमने एक दृढ़ और कुशल ग्राहक सेवा मंच स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे, लोगों, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण में लगातार निवेश किया है। शिकायत के समाधान के लिए मानक SL १५ व्यावसायिक दिन है।

हमारे संपर्क चैनलों, एस्केलेशन चैनलों का विवरण और आरबीआई द्वारा नियुक्त लोकपाल का विवरण नीचे दिया गया है।

### संपर्क मार्ग

विभिन्न उत्पादों के लिए हमसे संपर्क करने के लिए ग्राहक के लिए निम्नलिखित संपर्क चैनल उपलब्ध हैं:

#### एसेट बैंक फाइनेंस – वाणिज्यिक वाहन और निर्माण उपकरण

**हेल्पलाइन:** ग्राहक हमें अपनी केंद्रीकृत हेल्पलाइन निशुल्क नंबर १८००-२६-७०-१२४ पर कॉल कर सकते हैं। समय: सोमवार – शुक्रवार (सुबह १०.०० बजे – शाम ०६.०० बजे)

**ई-मेल:** [wecare.cfil.india@citi.com](mailto:wecare.cfil.india@citi.com) पर ई-मेल भेजें

**मेल:** हमें यहां लिखें: ग्राहक सेवा, सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड, ३ एलएससी, पुष्प विहार, नई दिल्ली – ११००६२

**वेबसाइट:** [www.citicorpfinance.co.in](http://www.citicorpfinance.co.in)

शाखाएँ: शाखाओं की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, <https://www.citicorpfinance.co.in/CFIL/locate-us.htm> और हमारी शाखाएँ सोमवार से शुक्रवार को सुबह १०.०० बजे से शाम ०६.०० बजे के बीच खुली हैं।

#### उपभोक्ता ऋण (गृह इक्विटी, गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ, दोपहिया और ऑटो ऋण)

**हेल्पलाइन:** ग्राहक हमें अपनी केंद्रीकृत हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। १८००-११-९९-४९ (टोल फ्री-एमटीएनएल, बीएसएनएल एयरटेल, रिलायंस, टाटा, आइडिया, वोडाफोन और एयरसेल उपयोगकर्ता) या ३९००११११ पर। समय: सोमवार – शुक्रवार (सुबह ९ बजे – शाम ०६.०० बजे)

**ई-मेल:** [wecare@citi.com](mailto:wecare@citi.com) पर ई-मेल भेजें

**मेल:** हमारे यहां लिखें: ग्राहक सेवा, सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड, ३ एलएससी, पुष्प विहार, नई दिल्ली – ११००६२

**वेबसाइट:** [www.citicorpfinance.co.in](http://www.citicorpfinance.co.in)

**शाखा:** सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड, ३ एलएससी, पुष्प विहार, नई दिल्ली – ११००६२

## सामरिक इक्रीटी समाधान (एसईएस) – मार्जिन ऋण, कॉरपोरेट ऋण और मिड-मार्केट सेगमेंट कंपनियों को ऋण

ग्राहक जब चाहे अपने संबंधित रिश्तेदारों से संपर्क कर सकते हैं।

### शिकायत निवारण तंत्र / उच्चतर (एस्केलेशन) चैनल

यदि उधारकर्ता उपर्युक्त संपर्कों से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो वह निम्नलिखित एस्केलेशन चैनलों पर हमसे संपर्क कर सकता है या लिख सकता है। ये अधिकारी सोमवार से शुक्रवार सुबह १०.०० बजे से शाम ०६.०० बजे के बीच अपने कार्यालयों में पहुँच जाएँ।

ग्राहक शिकायत को बढ़ाने के लिए उत्पादवार विवरण निम्नानुसार हैं:

### शिकायतों को उच्चतर स्तर पर ले जाना: सभी उत्पादों के लिए: स्तर एक

यदि उधारकर्ता सीएफआईएल में अपने संपर्क से प्राप्त प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह शिकायत निवारण अधिकारी के पास इस मुद्दे को ले जा सकता है जिसका पता और संपर्क विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

श्री अभिषेक कुमार  
सिटिकॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड  
३ एलएससी, पुष्प विहार, नई दिल्ली – ११००६२  
९१ ११ ४४००२१६८  
ई-मेल: [GRODESK@citi.com](mailto:GRODESK@citi.com)

### शिकायतों को उच्चतर स्तर पर ले जाना: सभी उत्पादों के लिए: स्तर दो

यदि उधारकर्ता प्रथम उच्चतर स्तर से प्राप्त प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) के पास शिकायत ले जा सकता है, जिसका पता और संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं।

श्री अनुराग जैन  
प्रधान नोडल अधिकारी (झछज)  
सिटिकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड।  
३, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (एलएससी),  
पुष्प विहार, नई दिल्ली – ११००६२  
९१ ११ ४४०० २१४८  
[Cfil.principal.nodal.officer@citi.com](mailto:Cfil.principal.nodal.officer@citi.com)

### शिकायतों को उच्चतर स्तर पर ले जाना: सभी उत्पादों के लिए: स्तर तीन

यदि उधारकर्ता दूसरे उच्चतर स्तर से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रबंध निदेशक के पास शिकायत ले जा सकता है जिसका संपर्क विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

ई-मेल: [managingdirector.CFI@citi.com](mailto:managingdirector.CFI@citi.com)

सीएफआईएल शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रत्येक शिकायत का जवाब देने का प्रयास करेगा।

### लोकपाल / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एनबीएफसीओ तक शिकायत को ले जाना

यदि शिकायत का एक महीने की अवधि के भीतर निवारण नहीं किया जाता है या यदि शिकायतकर्ता प्राप्त प्रत्युत्तर से असंतुष्ट है, तो वह एकीकृत लोकपाल योजना २०२१ लोकपाल योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त लोकपाल को लिख सकता है। लोकपाल योजना का विवरण शाखा सूचना बोर्डों पर प्रदर्शित किया जाता है। हमारा स्टाफ इस संबंध में प्रक्रिया की व्याख्या करेगा।

इसके अतिरिक्त, विस्तृत लोकपाल योजना हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://www.citicorpfinance.co.in/CFIL/pdf/Ombudaman/Ombudaman-Scheme.pdf>

<https://www.citicorpfinance.co.in/CFIL/pdf/Ombudaman/Appendix-A-English.pdf>

प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ), लोकपाल के केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) और शिकायत प्रपत्र के संपर्क विवरण: <https://www.citicorpfinance.co.in/CFIL/Annex-I-and-II.pdf>

यदि आप ग्राहक लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी हैं: डिप्टी गवर्नर, आरबीआई, आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के कार्यकारी निदेशक प्रभारी।

योजना से संबंधित और अधिक विवरण के लिए [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) देखें

## ८. उचित व्यवहार संहिता की भाषा और संचार विधि

---

संहिता को सीएफआईएल शाखाओं में और सीएफआईएल की वेबसाइट [www.citicorpfinance.co.in](http://www.citicorpfinance.co.in) पर स्थानीय भाषाओं में रखा गया है

## ९. एनबीएफसी द्वारा प्रभारित अतिरिक्त ब्याज के विनयमन और शिकायतें

---

### एसेट बैकड फाइनेंस – वाणिज्यिक वाहन और निर्माण उपकरण

सीएफआईएल ब्याज दर मॉडल / मूल्य निर्धारण नीति प्रासंगिक कारकों जैसे कि धन की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए, ऋण के लिए चार्ज किए जाने वाले ब्याज की दर को निर्धारित करता है और पॉलिसी को सीएफआईएल की वेबसाइट [www.citicorpfinance.co.in](http://www.citicorpfinance.co.in) पर रखा जाता है।

सीएफआईएल की वेबसाइट पर ब्याज की दर और जोखिम के ग्रेडेशन के लिए एप्रोच (दृष्टिकोण) उपलब्ध हैं।

ब्याज की दर और जोखिम के ग्रेडेशन के लिए दृष्टिकोण और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य का खुलासा उधारकर्ता को आवेदन पत्र में किया जाता है।

आवेदन पत्र में उल्लिखित ब्याज की दर वार्षिक ब्याज दर है, ताकि उधारकर्ता को उन सटीक दरों के बारे में पता रहे जो खाते में ली जाएंगी।

### कॉर्पोरेट ऋण

समझौते में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ब्याज देय है। इसके अलावा, ड्रॉडाउन अनुरोध पत्र में ब्याज दर का उल्लेख किया गया है।

### मिड-मार्केट सेगमेंट उधारकर्ताओं को ऋण

ड्राडाउन अनुरोध पत्र में ब्याज दर का उल्लेख किया गया है। आगे का ब्याज भुगतान खंड (क्लॉज) ऋण समझौते और मंजूरी पत्र में शामिल है।

### सामरिक इक्विटी समाधान (एसईएस) – मार्जिन ऋण

आम तौर पर ग्राहकों को उच्च टिकट ऋण प्रदान करता है। ये ग्राहक मौजूदा बाजार की स्थितियों से अवगत रहते हैं। स्थापना के समय ग्राहकों के साथ ऋण नियमों और शर्तों के बारे में कई चर्चाएँ होती हैं, जिन्हें एक कानूनी समझौते की औपचारिकता प्रदान की जाती है। इन ग्राहकों के लिए धन स्रोतों के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को देखते हुए (आमतौर पर कई इच्छुक ऋणदाता), अत्यधिक ब्याज दर व्यवसाय के लिए उत्पादक नहीं हैं।

## १० एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित वाहनों की जब्ती: निर्माण उपकरण और वाणिज्यिक वाहन ऋण

---

सीएफआईएल के सभी अनुबंध / ऋण समझौते में वाहनों की जब्ती के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं:

- कब्जे में लेने से पहले नोटिस की अवधि
- परिस्थितियां जिनके तहत नोटिस की अवधि माफ की जा सकती है
- संपार्श्विक को कब्जे में लेने के लिए प्रक्रिया
- संपत्ति की बिक्री / नीलामी से पहले ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता को दिए जाने वाले अंतिम अवसर के बारे में प्रावधान
- उधारकर्ता को वापस कब्जा देने की प्रक्रिया
- संपत्ति की बिक्री / नीलामी के लिए प्रक्रिया